झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ0 एफ0 पी0 भवन धुर्वा, राँची।

पत्रांकः–परि0आ0–352 / 2007–269 / राँची, दिनांकः–05.03-2021

प्रेषित,

श्रीमती अनिता मिश्रा,
ग्राम+थाना–बड़ाबाजार, पो०–बड़ाभूम,
पुरूलिया–723127 ।

विषयः– प० बंगाल प्राधिकार द्वारा मार्ग टाटा से सिंदरी भाया–बामगुर्दा (B-78) पर आपके पक्ष में स्वीकृत परमिट सं०– P.St.P.-11/2007(I/S) का प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प० बंगाल प्राधिकार द्वार मार्ग–टाटा से सिंदरी पर आपके पक्ष में स्वीकृत परमिट सं०–P.St.P.-11/2007(I/S) का प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण, प्रतिस्थापन वाहन के साथ निर्गत किये जाने हेतु आवेदन इस प्राधिकार को प्राप्त है।

प्राप्त आवेदन एवं अभिलेखों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विषयगत परमिट की वैद्यता वर्ष–2017 में ही समाप्त हो चुकी थी। प० बंगाल प्राधिकार द्वारा विषयगत परमिट का नवीकरण विलम्ब से दिनांक–10.09.2020 को किया गया। तदोपरान्त आपके द्वारा विलम्ब से दिनांक–03.02.2021 को प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन इस प्राधिकार में समर्पित किया गया ।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से 07(सात) दिनों के अन्दर उक्त विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय, ताकि नियमानुसार प्रतिहस्ताक्षर की कार्रवाई की जा सके।

संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।